नाराज हो गये। इसकारण वादीगण को विधिवत रूप से बंटवारा करवाने हेतु न्यायालय हाजा के समक्ष वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वादी ने वाद पत्र पेश कर मद सं0 9 की उप मद क,ख, ग, घ अनुसार डिक्री करने हेतु निवेदन किया है।

चूंकि उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत वाद में मुख्य रूप से बंटवारा का अनुतोष चाहा गया है। वादी एंव प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्तकार चले आ रहे है, उसके अनुसार बंटवारा कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाना चाह रहे है। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार रिकार्डेड खातेदार या उनके वारिसान अपने हिस्से के अनुसार बंटवारा करवाने के हक व अधिकारी है। अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर प्राथमिक डिक्री निम्न शर्तो के अनुसार जारी की जाती है:–

1. यदि पक्षकारान ने ब्राहमी बंटवारा कर अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्तकार चले आ रहे है, तो उसी के अनुसार प्रस्ताव भिजवावे।
2. पक्षकारान की आपसी सहमति से बंटवारा के प्रस्ताव तैयार कर भिजवावे।
3. यदि उपरोक्त बिन्दू सं0 1 एंव 2 द्वारा पक्षकारान के बीच बंटवारा किया जाना संभव नहीं हो तो उपरोक्त वर्णित आराजी का पक्षकारान के बीच अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि का बंटवारा कर बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित बंटवारा दर्शाते हुए बट्टा नंबर डालकर प्रस्ताव भिजवावे।
4. राजस्व मंडल, राजस्थान अजमेर के आदेश कमांक रा.म./न्याय/स्था/प–51/2008/विविध/10548 दिनांक 5.10.2020 में दिये गये निर्देशों के अनुसार तहसीलदार स्वंय मौके पर जाकर निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव तैयार करे। प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व पक्षकारान को नोटिस जारी करे तथा प्रस्ताव पर पक्षकारान के हस्ताक्षर करावे। तत्पश्चात् बंटवारा प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में तामील शुदा नोटिस की एक प्रति सहित बंटवारा प्रस्ताव के साथ इस न्यायालय में भिजवावे।
5. पक्षकारान के मध्य रास्ते का प्रावधान को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव तैयार करे तथा रास्ते का अलग बट्टा नंबर डालकर नक्शा ट्रेस में दर्शाया जावे।

मौका कमिश्नर फीस रूपये 1000/– अंकेही रूपया एक हजार मात्र वादीगण अदा करेगें। पत्रावली इंतजार बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 27.03.25 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (मु0)सीकर

18/3/25 पत्रावली वादी कैलाश का आवेदन पत्र बाबत पत्रावली तलबी पर आज पेशी से पूर्व पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। वादी कैलाश ने एक आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादी प्रकरण को विड्रा करना चाहता है। वकील वादीगण ने आर्डरशीट पर हस्ताक्षर किये। अतः वकील वादीगण के अनुरोध पर वाद वादीगण नोट प्रेस में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 18/3/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (मु.)सीकर